उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com

समक्षः– एस॰रामास्वामी, मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

पंजीकरण सं॰:– C-h424021239.7.HAR

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ताः– श्रीमती विनोद देवी पत्नी स्व॰ श्री ऋषिपाल, निवासी–डवल फाटक, निकट आईडिया टावर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

बनाम

प्रतिपक्षीः– पदाभिहित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सी॰एच॰सी॰, नारसन, जिला–हरिद्वार।

आदेश

आयोग के नोटिस दि॰ 13.02.2024 के क्रम में श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, पदाभिहित अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ती श्रीमती विनोद देवी भी उपस्थित रही।

2. श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बयान दिया कि उनके द्वारा दि॰ 03.07.2023 को चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन का कार्यभार ग्रहण किया गया था। जिसके उपरांत माह सितम्बर, 2023 में श्रीमती विनोद देवी का पेंशन प्रकरण संज्ञान में आने के बाद, उनके प्रकरण को दि॰ 27.09.2023 को कोषागार, हरिद्वार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया था। मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दि॰ 19.10.2023 को पेंशन प्रकरण में आपत्ति इंगित की गयी, जो उनके कार्यालय को दि॰ 02.11.2023 को प्राप्त हुआ, जिसको निस्तारित कर दि॰ 24.02.2023 को पुनः कोषागार, हरिद्वार को प्रस्तुत कर दिया गया। दि॰ 02.03.2024 को कोषाधिकारी, हरिद्वार द्वारा श्रीमती विनोद देवी का पी॰पी॰ओ॰पत्र जारी कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत **"पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण"** सेवा हेतु समय–सीमा **"सेवानिवृत्ति के 05 माह पूर्व"** निर्धारित है।

4. प्रश्नगत प्रकरण में यद्यपि कार्यालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। परंतु प्रकरण निस्तारण में लगभग **01 वर्ष, 03 माह 07 दिन से अधिक का** विलंब हुआ है।

5. उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी/स्वीकृर्ता अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार को निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं:–

(1) प्रकरण में विलंब के लिये जिम्मेदार कार्मिकों का चिन्हिकरण कर, उनके नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर, कार्मिकों की तैनाती अवधि का विवरण एवं वर्तमान तैनाती आदि का विवरण तथा विलंब के लिये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कराते हुए **निर्धारित तिथि तक**

आयोग को उपलब्ध करायें ताकि संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–9 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की जा सके।

(2) अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दि॰ 09.04.2024 तक प्रत्येक दशा में भेजना सुनिश्चित करें।

(एस॰ रामास्वामी)
मुख्य आयुक्त।

दिनाँकः 04.03.2024।